

24.09.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
प्रार्थी का वादपत्र अदम हाजरी में खारिज हो
गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण
प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह
जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी
का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफ्तर हो।



~~सहायक कलक्टर~~

एव उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

